



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31012026-269688
CG-DL-W-31012026-269688

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3]	नई दिल्ली, जनवरी 25—जनवरी 31, 2026, शनिवार/माघ 5—माघ 11, 1947
No. 3]	NEW DELHI, JANUARY 25—JANUARY 31, 2026, SATURDAY/MAGHA 5—MAGHA 11, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बचत संस्थान समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 को जहां तक उनका संबंध संयुक्त निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली में अपर निदेशक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत संस्थान, अपर निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता- वह व्यक्ति,-**
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अपर निदेशक	1 (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा राजपत्रित, समूह 'क', अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (78800- 209200 रु.)	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700) में ऐसे संयुक्त निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किए गए कार्य क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह जब तक कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वाशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की है। (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, अर्थात:- (i) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री है; (ii) जिनके पास प्रशासन या लोक संबंध या वित्तीय आकड़ों और लेखापरीक्षा का प्रबंधन या वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण में दस वर्ष का अनुभव है। टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (बजट) – सदस्य; 3. निदेशक या उप सचिव (बजट) या निदेशक (राष्ट्रीय बचत संस्थान) – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 2/042004-एनएस-1]

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 16th January, 2026

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Savings Institute [Director, Joint Director, Regional Director (Senior), Regional Director (Junior), Deputy Director and Assistant Director], Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the post of the Joint Director except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director in the National Savings Institute, Delhi under the Ministry of Finance, namely :-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the National Savings Institute, Additional Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age - limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person. -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection/post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Additional Director.	1 (2025). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Gazetted, Group 'A', Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs 78800-209200)	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Joint Director in level 11 (67700- 208700) in the pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in fields as specified by the competent authority. Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institution, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs 67700- 208700) or equivalent in the parent cadre or department; or (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) possessing Master's Degree of a recognised university or institute;	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairperson; 2. Additional Secretary or Joint Secretary (Budget) -Member; 3. Director or Deputy Secretary (Budget) or Director, National Savings Institute - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(ii) ten years' experience in Administration or public relation or management of financial data and audit or inspection of financial institution. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age - limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty- six years as on the last date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. 2/042004- NS-1]

VYASAN R., Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 11.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बचत संस्थान समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2010 को जहां तक उनका संबंध उप निदेशक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय बचत संस्थान, दिल्ली, में उप निदेशक के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय बचत संस्थान, उप निदेशक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**-- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**-- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप निदेशक।	5*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रु.)।	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता। टिप्पण: प्रोन्नत व्यक्तियों को कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेशकालीन प्रशिक्षण लेना होगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 - 142400 रुपये) ऐसे सहायक निदेशक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा यथाविहित क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1. निदेशक या उप सचिव (बजट), आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष; 2. निदेशक, राष्ट्रीय बचत संस्थान - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वाशासी निकायों या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त शोध संस्था के ऐसे अधिकारी;

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100/रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की है; और

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400/रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री हो;

(ii) जिनके पास लोक संबंध, वित्तीय आकड़ों के प्रबंधन, विधिक मामलों और वित्तीय संस्थान की लेखा परीक्षा या निरीक्षण के क्षेत्र में सरकारी संगठन के प्रशासन का तीन वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

3. अपर निदेशक, राष्ट्रीय वचत संस्थान या उप निदेशक (बजट), आर्थिक कार्य विभाग
- सदस्य।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. 2/042004-एनएस-1]

व्यासन आर., संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th January, 2026

G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Savings Institute [Director, Joint Director, Regional Director (Senior), Regional Director (Junior), Deputy Director and Assistant Director] , Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the post of the Deputy Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the National Savings Institute, Delhi in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance namely :-

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, National Savings Institute, Deputy Director (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age- limit, educational qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.** - No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Director.	5 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level -9 in the pay matrix (Rs 53100-167800).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable. Note : Promotees shall attend the mandatory induction training of at least two weeks, as prescribed by the competent authority.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Director in level- 7 in the pay matrix (Rs 44900 - 142400) with three years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the fields as prescribed by the National Savings Institute. Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in the pay matrix	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Director or Deputy Secretary (Budget), Department of Economic Affairs - -Chairperson; 2. Director, National Savings Institute - Member; 3. Additional Director, National Savings Institute or Deputy Director (Budget), Department of Economic Affairs - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(Rs 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 7 in the pay matrix (Rs 44900- 142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely, - (i) Master's degree from a recognised University or institute; (ii) three years experience in the administration of Government organisation in public relation, management of financial data, legal issues, audit or inspection of financial institution. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note:2: The period of deputation including short-term contract including the period of deputation including short-term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age - limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty- six years as on the last date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. 2/042004-NS-1]

VYASAN R., Jt. Secy.